पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.) भारत
फोन : +91-771-2262540
ई-मेल : registrarprsu@gmail.com
वेब : www.prsu.ac.in

Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur (C.G.), India
Off. : +91-771-2262540
E mail : registrarprsu@gmail.com
Web : www.prsu.ac.in

Ref.No. 2207 /Registrar/2025

Raipur, Date : 17/01/2025

Certificate

This is to certify that Pt. Ravishankar Shukla University, established on May 01, 1964, has been included under Section 2(f) and has been receiving central assistance (UGC grant) under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956.

Spatel
17/1/25

(Dr. Shailendra Kumar Patel)
REGISTRAR
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (Chhattisgarh)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लाक–सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर (छ.ग.)
फोन नं.– 0771–2263412, फैक्स– 2263412, Email- highereducation.cg@gmail.com

//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 8/8/2024

क्र. 792/21/आउशि/वि.वि.अनु./2024:: एतद् द्वारा छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–9/2024/38–2, दिनांक 15.07.2024 द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के वित्तीय वर्ष 2024–25 के मुख्या बजट में स्टार्टअप, इनोवेशन एवं रिसर्च तथा अपग्रेडेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फेसिलिटी हेतु प्रावधानित राशि रू. 200.00 लाख में से राशि रू. 100.00 लाख की विमुक्ति करने की स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक एफ–175/ब–3/200, दिनांक 28.06.2024 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर निम्नशर्तो के अधीन वित्तीय आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :

1/– उक्त स्वीकृति के अनुरूप राशि रू. **100.00 लाख (रू. एक करोड़ मात्र)** माग संख्या–44–उच्च शिक्षा–2202–सामान्य शिक्षा–03 –विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा–102– विश्वविद्यालयों को सहायता –0101–राज्य आयोजना (सामान्य) –(5205)–पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर –#14– सहायक अनुदान, –001–स्थापना अनुदान, आयोजना मद वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

2/– अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य/प्रयोजन के लिये किया जाएगा, जिस उद्देश्य/प्रयोजन के लिये स्वीकृत किया जा रहा है।

3/– अनुदान राशि का आहरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि तत्काल भुगतान/वितरण किया जाना अपेक्षित न हों।

4/– स्वीकृत अनुदान का व्यय पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नहीं किये जाने की स्थिति में शेष राशि वित्तीय वर्ष के अंत में शासन को लौटा दी जाएगी।

5/– उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में समयावधि के भीतर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते हुए वित्त विभाग एवं संचालनालय को सूचित किया जाए।

6/– स्वीकृत अनुदान की व्यय राशि का अंकेक्षण कराया जाएगा।

7/– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक एफ–175/ब–3/200, दिनांक 28.06.2024 के द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

08/8/24

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर

पृ0पत्र क्र. 793/21/आउशि/वि.वि.अनु./2024 — अटल नगर, दिनांक 8/8/2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा राशि का आहरण कर विश्वविद्यालय के **खाता क्रमांक 30265042037 अनुदान खाता, भारतीय स्टेट बैंक(पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शाखा रायपुर)** आई.एफ.एस. कोड **SBIN0003739** में जमा करना सुनिश्चित करें।
3. कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
4. कोषालय अधिकारी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ ।
5. महालेखाकार, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ ।
6. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।
7. बजट शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सर्वर में प्रविष्टि हेतु सूचनार्थ।

08/8/24

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर

S.O (fin) डा. अर्चना

23/8/24

REGISTRAR
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

क्रमांक एफ 15–28 / 2024 / 38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /01/2025

प्रति,

संचालक,
राज्य परियोजना कार्यालय,
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,
शासकीय नागार्जुन विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– PM-USHA Component Grants to Strenghten Colleges (GSC) के अंतर्गत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रस्तावों की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 2978 / रा.प.का. / PM-USHA / 2024, दिनांक 19 / 07 / 2024.

राज्य शासन एतदद्वारा PM-USHA के द्वितीय PAB Meeting में प्राप्त स्वीकृति अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में निम्नानुसार कार्यों हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

स.क.	कार्य	स्वीकृत राशि
1	Construction Amount	7,68,98,000
2	Renovation Amount	5,50,00,000
3	Equipment Amount	4,41,56,000
4	Soft Component Amount	2,06,03,000
	Sanction Amount	19,66,63,000

2/ उक्त सहमति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 983 / वित्त विभाग / ब–3 / मंत्रालय, दिनांक 30.12.2024 द्वारा दी गई है। पूर्व मे जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15.10.2024 को तत्काल प्रभाव से **निरस्त** किया जाता है।

3/ उक्त व्यय रूसा गाईडलाईन एवं भण्डार क्रय नियमों के पालन तथा Non SOR Items की दरें सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के शर्त पर दी जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(फबिओला बड़ा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

HVCmr
10/1/25

RAIPUR (Chhattisgarh)